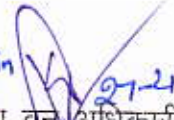


संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट / प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि दिनांक 27-04-2017 को शिकोहाबाद भोगाँव राज्य मार्ग सं0 84 के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य हेतु चैनेज 21.00 से 43.800 तक एवं घिरोर बाईपास निर्माण, लोअर गंगा कैनाल इटावा ब्रान्च चैनेज 32.500 से 32.525 तक सड़क के दोनो ओर संरक्षित वन भूमि में वृक्षों के पातन हेतु कार्यस्थल का संयुक्त निरीक्षण किया गया जिसमें लोक निर्माण विभाग की ओर से श्री जयवीर सिंह, सहायक अभियन्ता तथा वन विभाग की ओर से श्री के0के0 जैन, क्षेत्रीय वन अधिकारी, मैनपुरी उपस्थित रहे। जिसमें कुल 24.92755 हेक्टेयर वन भूमि प्रभावित हो रही है। उक्त प्रस्तावित क्षेत्र में कुल 4645 वृक्ष एवं पौधे प्रभावित हो रहे हैं। प्रस्तावित कार्य हेतु अपेक्षित वन भूमि की मांग न्यूनतम है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई वैकल्पिक भूमि उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित स्थल पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 का कोई उल्लंघन नहीं पाया गया।


(जयवीर सिंह)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय स्तर, लोअर गंगा
मैनपुरी


K.K. Jain
क्षेत्रीय वन अधिकारी
मैनपुरी


अधिसूचक अभियन्ता
प्रान्तीय स्तर, लोअर गंगा
मैनपुरी


S.K. Ambekar
प्रमाणित निदेशक
सामाजिक वनिकी विभाग
मैनपुरी